| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / एल0आर0 / 11653 / 2008 / गंगानगर**<br>**सुभाष चंद बनाम प्यारेलाल**<br>**अपील / एल0आर0 / 1733 / 2003 / गंगानगर**<br>**सरकार बनाम प्यारेलाल** | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री गणेश कुमार, सदस्य**

**निर्णय**

**दिनांक 23-02-2024**

राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता मनीष पाण्डेया उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी मनीष पांण्डेया का तर्क है कि माननीय पीठ द्वारा निर्णय के अंतिम पैरा संख्या-15 में यह उल्लेख किया है- ''परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1733/2003 निष्प्रभावी होने से एवं प्रार्थी मृतक सुभाष चन्द्र द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 11653/2008 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-01-2008 एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंह के निर्णय दिनांक 30-04-1999 की पुष्टि की जाती है।'' जबकि इसके स्थान पर यह संशोधन किया जावे कि- ''अपील संख्या 1733/2003 निष्प्रभावी होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2002 पुष्टि की जाती है एवं निर्णय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 30-04-1999 को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार निगरानी संख्या- 11653/2008 में निर्णय दिनांक 30-04-1999 को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार उक्त पैरा में शुद्धि की जाना न्यायहित में है।'' इन तथ्यों के संबंध में पत्रावली में पारित निर्णयों का अवलोकन किया। राज्य सरकार की अपील दिनांक 27-11-2002 का आदेश रिव्यू होने से और अस्तित्व में नहीं होने से अपील खारिज की गई है और दूसरी तरफ उपखंड अधिकारी रायसिंह का निर्णय दिनांक दिनांक 30-04-1999 के विरुद्ध संभागीय आयुक्त, बीकानेर के यहां अपील हुई जो सुभाष बनाम प्यारेलाल थी, जो दिनांक 25-01-2008 को खारिज हुई और उसके विरुद्ध यह रिवीजन पेश की है जो खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 30-04-1999 को बहाल रखा गया और दोनों अपीले खारिज की गई है जो सही है। निर्णय के पैरा संख्या- 15 में कोई संशोधन करने का आधार नहीं है और प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका 11653/2008 बउनवानी सुभाष चन्द्र बनाम प्यारेलाल और अपील संख्या- 1733/2003 सरकार बनाम प्यारेलाल खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गणेश कुमार)**
**सदस्य**